भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
भोपालपानी उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 3709 मुख्य खनिज–/17/पिथौ0/खनन/भू0खनि0ई0/2021–22 दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

कार्यालय –ज्ञाप

मै0 मॉ भगवती ग्राम नखनौली, पो0 बुॅगाछीना जनपद पिथौरागढ के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1895/VII-A-1/2021–01(45)/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा ग्राम नखनौली तहसील देवलथल ,जनपद पिथौरागढ क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत एवं सीमांकित कुल 4.994 है0 भूमि में खनिज सोपस्टोन का 25 वर्ष की अवधि खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत एवं सीमांकित क्षेत्रफल की खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई , 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589 /VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर –3(दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने हुए कार्यालय आदेश संख्या 2378/खनन/मा0प्ला0/भू0खनि0ई0/14/2022–23 दिनांक 24 सितम्बर, 2022 के द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 30.10.2022 के क्रम में आर0क्यू0पी0 श्री भुवन जोशी पंजीकरण संख्या मु0ख0/आर0क्यू0पी0/देहरादून/01/2016 द्वारा तैयार की गयी खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संकियाओं मे सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माइनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के प्रथम वर्ष 15692टन, द्वितीय वर्ष 20551 टन, तृतीय वर्ष 24928 टन, चतुर्थ वर्ष 29290 टन एवं पंचम वर्ष 32211 टन कुल 1,22,672 टन खनिज सोपस्टोन उत्पादन हेतु खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है:–

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन खनन पट्टे के पंजीकरण के दिनांक से आगामी 05 वर्ष की अवधि हेतु किया जा रहा है।
2. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
3. खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
4. खनन कार्य एवंम खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
5. आवेदक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत से पूर्व मशीनीकृत माईनिंग हेतु रू0 2.00 लाख बैंक गारन्टी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में मशीनीकृत हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. आवेदक द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1895/VII-A-1/2021–01(45)/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की शर्त संख्या –05 के अनुसार आवेदक द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकारी की अधिसूचना का0आ0 2601 (अ) दिनांक 07 अक्टूबर, 214 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या 1621/VII-1/212–ख/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना होगा एवं तद्नुसार पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
7. कार्यालय ज्ञाप संख्या 1895/VII-A-1/2021–01(45)/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा निर्गत आशय पत्र की समस्त शर्तों का अनुपालन आशय पत्र निर्गत दिनांक 07 जनवरी, 2022 से आगामी छः माह अर्थात 05.07.2022 तक की जानी थी । जिसमें वर्तमान तक लगभग 05 माह का विलम्ब हो चुका है अगर शासन द्वारा उक्त आशय पत्र की अग्रेत्तर समयावधि नहीं बढायी जाती है तो यह खनन योजना स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

9. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।
10. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
11. इस खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
12. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
13. धात्विक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
14. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
15. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
16. भू–सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू–संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होगें।
17. अनुमोदित खनन योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

संलग्नकः खनन योजना की प्रति।

(एस0एल0पैट्रिक)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्याः 3709 /मु0ख0 /17/पिथौ0/खनन /भू0खनि0ई0/2021–22 तददिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आई0टी0 पार्क देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ।
6. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पिथौरागढ।
7. मै0 मॉ भगवती ग्राम नखनौली पो0 बुँगाछीना , जनपद पिथौरागढ।
8. श्री भुवन चन्द्र जोशी 20 शास्त्रीनगर, लेन न0–3, हरिद्वार रोड, देहरादून।

(एस0एल0पैट्रिक)
निदेशक।